आवास अनुभाग / Housing Section
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली-12 /Pusa, New Delhi-12

(E-File-440842)/1473 Date-20.08.2026

परिपत्र

यह सूचित किया जाता है कि **टाइप-I, जनक विहार आवास** के समस्त संबंधित आवंटियों/अधिभोगियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा **ई-फाइल संख्या** 433793 में अभिलिखित निर्णय के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में **टाइप-I, जनक विहार आवासों के किसी भी नवीन आवंटन अथवा आवास परिवर्तन** के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार या उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा **जनक विहार स्थित टाइप-I आवासों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति** को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त आवासों में आवासियों कि सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रतिधारण की अवधि को आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से **01 (एक) माह** तक सीमित किया जाता है।

तदनुसार, **जनक विहार के टाइप-I आवासों में वर्तमान में निवास कर रहे ऐसे आवंटी, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिनके द्वारा आवास के प्रतिधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है,** साथ ही ऐसे कर्मचारी जो निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सेवानिवृत्ति उपरांत आवास के प्रतिधारण हेतु इच्छुक हैं, वे अपना प्रतिधारण आवेदन, जहाँ लागू हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, **जनक विहार के टाइप-I आवासों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अधिकतम प्रतिधारण अवधि 01 (एक) माह होगी,** जिसकी गणना आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से की जाएगी।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवास खाली नहीं किया जाता है अथवा आवंटी द्वारा बिना वैध प्राधिकरण के आवास पर कब्जा बनाए रखा जाता है, तो लागू नियमों के अनुसार **क्षतिपूर्ति प्रभार/डैमेज चार्जेज** की वसूली अनधिकृत अधिभोग की अवधि के लिए की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, जनक विहार स्थित टाइप-I आवासों की जीर्ण-शीर्ण एवं असुरक्षित स्थिति को देखते हुए, अपनी मर्जी से आवास में निवास की अवधि के दौरान परिसर में किसी भी प्रकार की **अप्रिय/अवांछनीय घटना अथवा दुर्घटना** घटित होने की स्थिति में कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह अपेक्षित है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित आवंटियों/अधिभोगियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय देयता तथा/अथवा लागू नियमों के अंतर्गत अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नोटः- ऐसे आवंटी, जो **टाइप-I आवास के लिए पात्र हैं**, यदि जनक विहार के टाइप-I आवास के स्थान पर **कृषि कुंज के टाइप-I आवास** में परिवर्तन हेतु इच्छुक हैं, अथवा ऐसे आवंटी जो पात्रता के अनुसार **कृषि कुंज के टाइप-II आवास** में परिवर्तन हेतु पात्र हैं, वे उक्त आवासों में परिवर्तन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
(आवास अनुभाग)